संख्या–1/3/96–का–4–2007

प्रेषक,

जे.एस. दीपक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक : 26 नवम्बर, 2007

विषयः–सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति ।

महोदय,

उपयुक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 14 सितम्बर, 2007 के द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये थे कि समस्त संवर्गो के समस्त श्रेणियों के अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण न किये जांय तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में मा. मुख्य मंत्री जी का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर ही स्थानान्तरण किये जांय । शासन के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय विभागों द्वारा उपर्युक्त शासनादेश का उल्लंघन कर, अधिकारियों / कर्मचारियों को स्थानान्तरित न करते हुए, उनको दूसरे पदों / कार्यालयों से सम्बद्ध किया जा रहा है, जो शासनादेश दिनांक 14.9.2007 की मूल भावना के सर्वथा विपरीत है ।

2. उपर्युक्त के संबंध में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :–

(1) शासनादेश दिनांक 14.9.2007 के प्राविधानों के विपरीत जिन अधिकारियों / कर्मचारियों को अन्य पदों / कार्यालयों से सम्बद्ध किया गया है, की सम्बद्धता तत्काल निरस्त कर दी जाय ।

(2) जिन अधिकारियों द्वारा सम्बद्धता की कार्यवाही की गयी है, का उत्तरदायित्व निर्धारित कर, उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए, एक सप्ताह में अवगत कराया जाय ।

3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

26/11/07

(जे.एस.दीपक)
प्रमुख सचिव

संख्या–1/3/96(1)–का–4–2007, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल जी ।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
3. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण ।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव / मुख्य सचिव ।
5. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश ।
6. विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मा. मुख्य मंत्री जी ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
8. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेशि ।
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव